कार्यालय नगर पालिका परिषद मनावर जिला – धार (म.प्र.) Tel: 07294-232246 Fax 233240
Office of Municipal Council, Manavar, District Dhar, (M.P.) Email :- cmomanawar@mpurban.gov.in

[11/7/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 1973]

क्रमांक/ राजस्व /521 /2023 मनावर दिनांक 20 / 02 /2023

परिशिष्ट "अ"

प्रति,

थाना प्रभारी,
पुलिस थाना मनावर

उप संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/शाखा-2/2022/20975 भोपाल दिनांक 05.12.2022 के द्वारा संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास इंदौर संभाग इंदौर के प्रतिवेदन क्रमांक 3शि/21/2021/2518 दिनांक 28.09.2022 का अवलोकन कर प्रतिवेदन अनुसार नगर पालिका परिषद मनावर के भूखण्डो के अवैधानिक क्रय विक्रय हेतु लीजधारी, क्रेता एवं नियम विरूद्ध भवन अनुज्ञा जारी करने एवं नामांतरण करने वाले पदाधिकारी, अधिकारी एवं कमर्चारी द्वारा कूटसंधि कर नियमो के विपरीत कार्यवाही कर अनाधिकृत लाभ प्राप्त करने के आशय से निकाय की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के लिये, संबंधितो के विरुद्ध नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः संलग्न दस्तावेजो अनुसार भूखण्डो के अवैधानिक क्रय विक्रय हेतु लीजधारी, क्रेता एवं नियम विरुद्ध भवन अनुज्ञा जारी करने एवं नामांतरण करने वाले पदाधिकारी, अधिकारी एवं कर्मचारियों के के विरुद्ध नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज करने का कष्ट करे।

संलग्न :- 1. उप संचालक महोदय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/शाखा 2/2022/20975 भोपाल दिनांक 05.12.2022।
2. संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास इंदौर संभाग इंदौर के प्रतिवेदन क्रमांक 3शि/21/2021/2518 दिनांक 28.09.2022।
3. कार्यालय नगर पालिका परिषद मनावर में उपलब्ध रिकोर्ड एवं सर्वे के आधार पर उपलब्ध प्रत्येक लीज पर दिए भूखंड से संबंधित जानकरी।
4. निकाय का आदेश क्रमांक 6001 दिनांक 06/12/2022।

प्रभारी राजस्व विभाग प्रमुख,
नगर पालिका परिषद मनावर जिला धार
मनावर,दिनांक :- 20/02/2023

पृष्ठां.क्रमांक/ राजस्व / 522 /2023
प्रतिलिपी:-

01. कलेक्टर महोदय, जिला-धार की ओर सादर सूचनार्थ।
02. पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला-धार की ओर सादर सूचनार्थ।
03. संयुक्त संचालक महोदय, नगरीय प्रशासन एंव विकास इन्दौर संभाग, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
04. उपसंचालक महोदय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।

प्रभारी राजस्व विभाग प्रमुख,
नगर पालिका परिषद मनावर जिला धार
जिला-धार (म.प्र.)

O/C

सहायक संचालक
संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास
भोपाल (म.प्र.)

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

Scanned with CamScanner

...लिका परिषद मनावर :— बैठक विशेष सम्मिलन दिनांक 12/06/2023 ...00 बजे स्थान नगर पालिका परिषद मनावर जिला—धार प्रस्ताव क्रमांक — 21

गांधी नगर अर्बन लैंड (मेला मैदान) के भुखण्डों के संदर्भ में चर्चा।

प्रकरण प्रस्तुत हुआ। की गई कार्यवाही का अवलोकन किया गया। नगर पालिका मनावर स्वामित्व का भूमि खसरा नं. 233, 235/1, 235/2 अर्बन लैंड (मेला मैदान) की भूमि में से 77 भूखण्डों को सशुल्क लीज पर 1969 से 1979 के मध्य नीलामी के माध्यम से आवंटित किया गया था । अभिलेखो से ज्ञात होता है कि इन भूखण्डों की लीज का रजिस्ट्रीकरण एवं लीज का नवीनीकरण समयसीमा में नहीं हो पाया। कुछ भूखण्डो को नगर पालिका के नामांतरण प्रमाण पत्र एवं टेक्स रसीद के आधार पर विक्रय भी कर दिया गया तथा कुछ प्रकरणों में वंशानुक्रम अथवा बिक्री के आधार पर नामांतरण भी किया गया है।

इस संबंध में प्रचलित शिकायत के आधार पर संचालनालय के पत्र क्रमांक/शाखा—2/2022/20975 भोपाल,दिनांक 05.12.2022 के माध्यम से ऐसे दोषियों के विरूद्व पुलिस थाने में एफ.आय.आर. कराने के निर्देश मुख्य नगर पालिका अधिकारी को दिये गये हैं।

प्रभावित व्यक्तियों द्वारा प्रकरण में पुर्नविचार के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किए है। प्रकरण विचार हेतु प्रस्तुत हुआ। प्रकरण के अवलोकन में निम्न तथ्य परिलक्षित होते हैं—

01. प्रस्तुत सूचि में मूल 25 भूखण्डो पर वर्तमान में मूल लीज धारी/वारिस काबिज है एवं 06 भूखंडो का पारिवारिक विभाजन कर 12 भूखंडो पर मूल लीज धारी/वारिस काबिज है। चूंकि नवीनीकरण करना परिषद के अधिकार क्षेत्र में है इसलिए मूल काबिजकारों को पूर्व की लीज के समाप्ति दिनांक से आगामी 30 वर्षो के लिए निर्धारित शुल्क जमा कराकर लीज नवीनीकरण की स्वीकृति दी जाती है।

02. प्रस्तुत सूचि में मूल 36 भूखण्डो को लीज धारकों द्वारा 52 भूखंडो में विभाजन कर विक्रय कर दिया गया एवं मूल 04 भूखण्डो को एक हिस्से पर काबिज होकर बाकि हिस्से को 05 भूखंडो. में विक्रय कर दिया गया तथा मौके पर भवन निर्माण भी हो गया है। ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने भूखण्ड विक्रय कर दिये है, उन्हें संपत्ति अंतरण अधिनियम 2016 के अनुसार राशि जमा कराकर पूर्व की लीज समाप्ति दिनांक से लीज नवीनीकरण की स्वीकृति दी जाती है। चूंकि यह लीज बिना निलामी की प्रक्रिया के दी जाना प्रस्तावित है और ऐसे मामलों में स्वीकृति के अधिकार राज्य शासन के पास निहित है। अतः ऐसे सभी प्रकरणों को नगरीय प्रशासन विभाग को भेजा जाकर स्वीकृति प्राप्त की जावें।

03. सूचि अनुसार कुल मूल 06 भूखण्डों को सात भूखंडो में विभाजित कर उप तीन भूखंडो सहित कुल 10 भूखंड जिन्हें लीज तो दी गई थी किन्तु मौके पर रिक्त अवस्था में है, जिन्हें नगर पालिका ने अपने अधिपत्य में ले लिया है। इन भूखण्डों का अधिपत्य दिनांक पर काबीज व्यक्तियों को संपत्ति अंतरण अधिनियम 2016 के अनुसार निर्धारित प्रिमीयम जमा कराकर लीज नवीनीकरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

सहायक संचालक
संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास
भोपाल (म.प्र.)

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

उपरोक्त मूल 77 भूखंडो में विभाजित समस्त 108 भूखण्डों की लीज नवीनीकरण की स्वीकृति परिषद द्वारा प्रदान की जाती है। प्रकरण सक्षम स्वीकृति हेतु नगरीय प्रशासन विभाग भोपाल को भेजा जावें। परिषद के उक्त संकल्प पारित होने के उपरांत संचालनालय के आदेश क्रमांक/शाखा–2/2022/20975 भोपाल,दिनांक 05.12.2022 अनुसार दोशियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है अतैव संचालनालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 05.12.2023 को वापस लेने का अनुरोध किया जाये व ऐसे प्रकरण जो पुलिस थाने में सौंपे गये हैं उन्हें वापस लिया जावे। शासन की स्वीकृति उपरांत सभी लीज भवन निर्माण बिक्री आदि वैधानिक स्वरूप में हो जायेंगे तथा निकाय को आय भी होगी।

अतः इस संबंध में राज्य शासन के अंतिम निर्णय होने तक पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश को स्थगित करने का अनुरोध शासन से किया जाता है।

उक्त प्रस्ताव के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष अजय पाटीदार, पार्षद नारायण सोनी परिषद की बैठक में हिस्सा नहीं लेते हुए इससे विरत रहे। उक्त प्रस्ताव की अध्यक्षता उपाध्यक्ष श्रीमती रेणु नवीन शर्मा के द्वारा की गई तथा 02 पार्षद श्रीमती रेखा मकवाना एवं श्रीमती परवीन बी अनुपस्थिति होकर परिषद की बैठक में 11 पार्षद उपस्थित थे। जिसमें से 4 पार्षदों श्री मनोज सवनेर, श्रीमती लक्ष्मी जाट, श्रीमती अनिता सिंगार, श्रीमती आशना पति सलीम खान नें आपत्ति दर्ज की गई तथा 07 पार्षदों श्रीमती रेनू नवीन शर्मा, श्री कैलाश राठौड़, श्री लोकेश मुकाती वी. आई. पी., श्री माँगीलाल सावले, श्री रूपेश सोलंकी (नेता), श्रीमती रीतु मुकेश पाटीदार, श्रीमती ममता अरविन्द नामदेव, ने सहमती दी गई। इस प्रकार यह प्रस्ताव 7/4 से पारित किया गया।

अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद मनावर जिला धार

सत्य प्रतिलिपी

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद मनावर
जिला-धार (म.प्र.)

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग